न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–177/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00126)

1. सैयद अजीज पुत्र ईस्माईल उम्र 47 वर्ष, जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 2, बाबर गली, रामगढ शेखावाटी, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका रामगढ शेखावाटी, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान।
3. सैयद अनवर पुत्र ईस्माइल उम्र वर्ष जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 2, बाबर गली, रामगढ शेखावाटी, तहसील शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान।
4. आसिया पत्नी ईस्माइल उम्र जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 2 बाबर गली, रामगढ शेखावाटी, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 21.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के आदेश दिनांक 15.01.2001 (प्रकरण संख्या 20/2000) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 बी (7) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342/4 रकबा 12.90 हैक्टयर के खातेदार जमात कब्रिस्तान आथुना मौहल्ला रामगढ हिस्सा 1/3, ईस्माइल पुत्र हाजी अलादीन हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/4, मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद यासीन हिस्सा 1/6, अमिर पुत्र अब्दुला हकीम हिस्सा 1/6, मोहम्मद अफजल पुत्र उसमान हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2, अब्दुल पुत्र अब्दुला रकबा 0.41 हैक्टयर, मोहम्मद शसीद, मोहम्मद आरीफ, मोहम्मद इमरान पिसरान शौकत अली रकबा 1.64 हैक्टयर, अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल गनी रकबा 0.82 हैक्टयर, आमीन पुत्र हुसैन, मैयनुदीन, महमुद अली, अबुर रसीद, मोहम्मद रफीक पिसरान हाजी छोटू शेष रकबा 0.08 हैक्टयर, हरून रसीद पुत्र हाजी छोटू शेष रकबा 0.06 हैक्टयर निवासी रामगढ तहसील फतेहपुर थे। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 342/4 रकबा 12.90 हैक्टयर बाबत तहसीलदार तहसील फतेहपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि को अकृषि उपभोग में बताते हुए राज्य सरकार में पुर्नग्रहित करने के सम्बन्ध में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पेश किया जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में दिनांक 15.01.2001 को 90 बी भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही कर खसरा नम्बर 342/2 रकबा 12.90 हैक्टयर में से 2.29 हैक्टयर भूमि अपीलार्थी के पिता ईस्माइल पुत्र हाजी अलादीन रकबा 2.15 हैक्टयर, मैयनुदीन, महबूब अली, अबर रसीद, मोहम्मद रफीक पिसरान हाजी छोटू शेष 0.08 हैक्टयर, हसन रसीद पुत्र हाजी छोटू शेष रकबा 0.06 हैक्टयर कुल रकबा 2.29 हैक्टयर राज्यहित में पुर्नग्रहित करने आदेश पारित किये जिसकी अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही हो सकी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नगर पालिका रामगढ शेखावटी सीकर के आदेश दिनांक 15.01.2001 से भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थी के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते है इसलिये अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त सहकाश्तकारी की अविभाजित भूमि है, जो खसरा नम्बर 342/4 रकबा 12.90 हैक्टयर के बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2001 पारित कर अपीलार्थी के पिता की सहखातेदारी की भूमि को राज्यहित में पुर्नग्रहित करने के आदेश पारित किया है जबकि कानूनन संयुक्त सहकाश्तकारी की अविभाजित भूमि में अलग से एक सहकाश्तकार की भूमि मानकार पुर्नग्रहित किये जाने के आदेश मनमाना, विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 में निहित खातेदारी हक की भूमि से अपीलार्थी को वंचित कर दिया जो सर्वथा अवैधानिक एवं अनाधिकृत होकर अपीलार्थी के निहित अधिकारों के प्रति कुठाराघात होने से प्रारम्भ से ही शून्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलाधीन निर्णय पारित होने के दिनांक को संयुक्त अविभाजित सहकाश्तकारी की भूमि कृषि कार्य में उपयोग आ रही है इस अहम कानूनी बिन्दु को समझे बिना व जांच किये बिना तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का नोटिस दिये बिना पारित किया गया है जिसके बाबत अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी और ना ही इस प्रकार के प्रभाव शून्य आदेश की जानकारी होने पर अपने हक व अधिकारों की उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड फतेहपुर जिला सीकर के समक्ष दिनांक 20.04.2012 को पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 23.04.2016 को न्यायालय द्वारा पारित कर वाद

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होना मानकर खारिज किया, अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश से प्राप्त निर्णय की नकल प्राप्त कर, उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रामगढ शेखावटी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2001 को निरस्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य में उपयोग होने पर अतिरिक्त तहसीलदार रामगढ द्वारा वर्ष 2000 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर खातेदारान के खातेदारी अधिकारों को पर्यवसान कर भूमि राज्य सरकार में पुर्नग्रहित करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान को नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2001 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा लगभग 15 वर्ष 4 माह बाद असाधारण विलम्ब से न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.05.2016 को अपील प्रस्तुत की गई तथा अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस तथ्यें या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे कि उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।